7.2.19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 19.2.19 को पेश हो।
19.2.19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 26.2.19 को पेश हो।
26.2.19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15.3.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
15.3.19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23.4.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
23.4.19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21.5.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
21-5-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31-5-19 को पेश हो।
31.5.19	पत्रावली पेश हुई- वकील वादी उपस्थित। पूर्व पेशी पर वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया एंव बहस अंतिम सुनी गई, जिसको आदेश हेतु आज पेशी नियत की गई। पत्रावली का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

किया गया. दिनांक 10.5.18 को प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध आंशिक डिक्री पारित कर दी गई है, दिनांक 11.9.18 को वकील वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया तथा इसी दिन प्रतिवादी संख्या 02 से 08 बावजूद आवाजो के अनुपस्थित एंव उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया, दिनांक 15.1.2019 को वादी का साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश हुआ. अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई, तथा पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नही किया है तथा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है अत। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत:

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम स्टेशन नगर परवार हल्का संतोकपुरा तहसील मांडल मे स्थित हाल आराजी संख्या 7031/3रकबा 2.00बीघा, आराजी सं. 7038 रकबा 0.03 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 2.03बीघा मे प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर रिक्त आधिपत्य वादी को सिपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तदनुसार डिक्री जारी की जावे।खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा